म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 46 / 23 / 742 भोपाल,दिनांक 20 / 8 / 14

प्रति

संयुक्त संचालक / उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय..........................(समस्त)
(म0प्र0)

विषय :— प्रदेश में हरियाली महोत्सव में एक दिन में एक करोड़ पौधों का रोपण।

संदर्भ :— मान0 मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, भोपाल का पृ.पत्र कमांक / एल--25--04 / 2006 / 10--2 दिनांक 04 जुलाई 2014

—000—

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। (छायाप्रति संलग्न) सभी आंचलिक संयुक्त / उप संचालकों को मंडी बोर्ड, मुख्यालय में मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 26.07.14 में निर्देशित किया गया है कि अपने संभाग के मंडी प्रांगणों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करायें ताकि मंडी में आने वाले कृषकों को वृक्ष के छांव की सुविधा प्राप्त हो सके। वृक्षारोपण मंडी की बाउण्ड्री से लगभग 5--6 फिट की दूरी पर करें ताकि बाउण्ड्री को नुकसान न हो सके। वृक्षारोपण करके उसकी सुरक्षा हेतु उसे जाली, डामर के ड्रम अथवा तिकोन फरसी से कवर किया जाये जिससे पशुओं से उसकी रक्षा की जा सके। इस कार्य हेतु कम से कम राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार आपके अधिनस्थ मंडियों में वृक्षारोपण की कार्यवाही कर प्रतिवेदन मुख्यालय को तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मुख्य सचिव कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक /   दिनांक   जुलाई, 2014

प्रति,

1. समस्त संभाग आयुक्त,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

विषय – प्रदेश में हरियाली महोत्सव पर एक दिन में एक करोड़ पौधों का रोपण।

-----000-----

शासन ने वर्षा ऋतु 2014 में प्रदेश में सात करोड़ से अधिक पौधे लगाने का निश्चय किया है। यह पौधा रोपण न केवल वनभूमि पर अपितु निजी भूमि सहित अन्य भूमि पर आम जन की सहभागिता से किया जाना है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इस वर्ष हरियाली महोत्सव को जन अभियान के तौर पर मनाये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु वन विभाग नोडल विभाग होगा।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि इस जन अभियान में शासन के समस्त विभागों की सहभागिता रहे। प्रत्येक जिले में कलेक्टर के नेतृत्व में यह कार्य किया जायगा एवं कलेक्टर समन्वयक की भूमिका निभायेंगे। जहां वनभूमि पर रोपण का समस्त कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा वहीं गैर वनभूमि, जैसे– महाविद्यालय, विद्यालय, शासकीय विभाग की भूमि, सार्वजनिक राजस्व भूमि आदि – के लिये स्थल का चयन वनमण्डलाधिकारी के सहयोग से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायगा। यहां यह ध्यान रखा जाना होगा कि वर्षा ऋतु 2014 में वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित सार्वजनिक गैर वनभूमि न केवल सहज दृश्य हों, बल्कि उसका संरक्षण एवं देखभाल भी आसान हो। विभिन्न जिलों के लिये वनभूमि एवं गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य <u>परिशिष्ट–1</u> पर है।

3. परिशिष्ट–1 पर सूचित लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जिले के अंतर्गत विभागवार, शासकीय निकाय/संस्थावार वृक्षारोपण लक्ष्य तथा स्थल का निर्धारण कलेक्टर संबंधित वनमण्डलाधिकारी के साथ चर्चा कर तय करेंगे।

4. वर्षा ऋतु 2014 में आयोजित हरियाली महोत्सव के लिये पौधों की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जायगी। किस रोपणी (नर्सरी) से कितनी संख्या में किस स्थल तक पौधों का परिवहन किया जायेगा इस संबंध में जिले के कलेक्टर एवं वनमण्डलाधिकारी आपस में चर्चा कर तय करेंगे। वन विभाग की विभिन्न रोपणियों से चिन्हित रोपण स्थलों तक पौधों का परिवहन निर्धारित रोपण दिनांक से कम से कम 3 दिन पूर्व किया जावेगा। वन भूमि एवं गैर–वन सार्वजनिक भूमि के लिये पौधों का परिवहन वन विभाग द्वारा तथा शासकीय विभागों की भूमि पर कराये जा रहे वृक्षारोपण के लिये संबंधित विभाग द्वारा किया

जाएगा। निजी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का परिवहन संबंधित व्यक्ति द्वारा उपलब्धतानुसार नर्सरी/निर्धारित स्थल से किया जाएगा।

5. हरियाली महोत्सव 2014 के दौरान रोपित किये जाने वाले पौधों की कीमत वनभूमि हेतु वन विभाग द्वारा, शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विभिन्न निकायों की भूमि हेतु संबंधित विभाग/संस्था/निकाय द्वारा एवं निजी भूमि पर संबंधित व्यक्ति द्वारा भुगतान की जायेगी।

6. मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा पूर्व निर्धारित एवं पूर्व सूचित किसी एक दिवस को हरियाली महोत्सव 2014 का शुभारंभ किया जाएगा एवं उस एक दिवस में प्रदेश भर में एक करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य है।

7. मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस दिवस को हरियाली महोत्सव–2014 का शुभारंभ किया जाएगा उस दिवस को प्रत्येक रोपण स्थल पर किये जाने वाले पौधा रोपण को सत्यापित करने हेतु प्रत्येक स्थल पर वन विभाग से भिन्न शासन के अन्य विभागों के दो अधिकारी/कर्मचारियों को स्थलवार साक्ष्य के लिये जिले के कलेक्टर द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 2014 तक नामांकित किया जाएगा। नामांकित प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी उन्हें आवंटित स्थलों का पूर्व में अवलोकन कर लेंगे तथा रोपण दिनांक को रोपण स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर रोपित पौधों का सत्यापन वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्रों में कर सत्यापन प्रतिवेदन वन विभाग को प्रेषित करेंगे। इस बाबत् स्पष्ट निर्देश संबंधित कलेक्टर द्वारा दिया जाएगा।

8. वर्षा ऋतु वर्ष 2014 में हरियाली महोत्सव के दौरान एक दिन में एक करोड़ पौधों के रोपण सहित सात करोड़ से अधिक पौधों के रोपण को जनअभियान के रूप में लिया जाकर अधिकाधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

हस्ता./-

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

पृ. क्रमांक/एफ-25-04/2006/10-2 दिनांक 04 जुलाई, 2014

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. आयुक्त, जनसंपर्क को उपयुक्त प्रचार–प्रसार हेतु।

मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
GEN/107 दिनांक 7/7/14

हरियाली महोत्सव 2014 अंतर्गत एक दिन में रोपित किये जाने वाले पौधों का जिलेवार लक्ष्य निर्धारण

क्र.	जिला	एक दिन में रोपण हेतु लक्ष्य (पौधों की संख्या लाख में)			
		वन क्षेत्रों में	निजी भूमियों पर	विद्यालयों / महाविद्यालयों एवं शासकीय सामुदायिक स्थलों पर	योग लक्ष्य
1	बालाघाट	5.00	1.00	0.50	6.50
2	बैतूल	6.00	2.00	0.75	8.75
3	भोपाल	1.15	1.40	0.25	2.80
4	विदिशा	1.05	0.75	0.15	1.95
5	सीहोर	1.15	0.75	0.15	2.05
6	रायसेन	2.10	0.85	0.20	3.15
7.	राजगढ़	0.55	0.30	0.25	1.10
8	छतरपुर	1.50	0.32	0.25	2.07
9	टीकमगढ़	1.00	0.32	0.20	1.52
10	पन्ना	2.50	0.46	0.30	3.26
11	छिंदवाडा	6.00	0.90	1.00	7.90
12	ग्वालियर	0.22	0.95	0.20	1.37
13	भिण्ड	0.29	0.40	0.20	0.89
14	मुरैना	0.60	0.35	0.20	1.15
15	दतिया	1.24	0.50	0.20	1.94
16	श्योपुर	1.64	0.25	0.20	2.09
17	होशंगाबाद	2.50	0.75	0.40	3.65
18	हरदा	2.50	0.75	0.35	3.60
19	इन्दौर	1.50	2.20	0.25	3.95
20	धार	1.50	1.00	0.20	2.70
21	झाबुआ	1.50	0.70	0.20	2.40
22	अलिराजपुर	1.50	0.60	0.10	2.20
23	जबलपुर	1.25	2.20	0.30	3.75
24	मंडला	5.00	1.25	0.25	6.50
25	कटनी	1.25	0.45	0.30	2.00
26	डिंडोरी	1.50	0.40	0.15	2.05
27	खण्डवा	1.00	1.25	0.20	2.45

क्र.	जिला	एक दिन में रोपण हेतु लक्ष्य (पौधों की संख्या लाख में)			
		वन क्षेत्रों में	निजी भूमियों पर	विद्यालयों / महाविद्यालयों एवं शासकीय सामुदायिक स्थलों पर	योग लक्ष्य
28	बुरहानपुर	1.75	0.65	0.30	2.70
29	खरगौन	2.00	1.20	0.20	3.40
30	बड़वानी	2.25	0.70	0.30	3.25
31	रीवा	2.00	0.70	1.00	3.70
32	सतना	1.00	0.80	0.40	2.20
33	सीधी	5.00	0.60	0.25	5.85
34	सिंगरौली	3.00	0.40	0.35	3.75
35	सागर	4.20	2.80	0.60	7.60
36	दमोह	2.30	0.40	0.40	3.10
37	सिवनी	5.00	1.85	0.70	7.55
38	नरसिंहपुर	1.50	0.45	0.30	2.25
39	शहडोल	3.50	0.65	0.25	4.40
40	उमरिया	2.50	0.48	0.13	3.11
41	अनूपपुर	0.00	0.27	0.13	0.40
42	शिवपुरी	3.60	0.32	0.34	4.26
43	गुना	1.60	0.32	0.34	2.26
44	अशोकनगर	0.80	0.26	0.32	1.38
45	देवास	1.50	1.45	0.20	3.15
46	उज्जैन	0.25	0.50	0.15	0.90
47	शाजापुर	0.10	0.25	0.10	0.45
48	आगर	0.15	0.25	0.05	0.45
49	रतलाम	1.00	0.75	0.15	1.90
50	मंदसौर	1.00	0.40	0.15	1.55
51	नीमच	1.00	0.50	0.20	1.70